

पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

SPEAKING ORDER

8/7/2026

अई. व. प्र. नं. -

1. The instant matter relates to the Order Passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Patna in Civil Writ Jurisdiction Case No. 17206 of 2023 dt. 01.09.2025.

2. The operating part of the said order dt. 01.09.2025 is as below:

" 5. We have perused the records. Subject matter of price escalation is not to be agitated under the arbitration clause. Whatever the action taken by the Superintending Engineer is required to be examined with reference to any disputed issue and the same would be subject before the arbitration. Assuming that Technical Bid Evaluation Committee's decision in respect of decision/recommendation for price escalation is not binding on the author of Annexure-P12, in that event, he should have at least analyzed and considered as to how the Committee's decision in respect of price escalation is impermissible. In the absence of these material information, one has to draw inference that impugned action of the respondent vide Annexure-P12 dated 03/06.04.2023 is without application of mind. Accordingly, the petitioner has made out a case. Annexure-P12 dated 03/06.04.2023 stands set aside. Hence, the present writ petition, i.e., CWJC No. 17206 of 2023 is allowed. The matter is remanded to the author of Annexure-P12 to decide afresh after due taking note of the recommendation of the Technical Bid Committee insofar as price escalation is concerned and proceed to pass a detailed speaking. Order within a period of three months and communicate the decision to the Petitioner."

3. The Recommendation of technical bid committee has been perused and taking note of it, the matter was heard on 11.05.2026. Accordingly the whole matter has been reviewed and the detailed reasoned order is as below-

4. The matter relates to the works of "पथ प्रमंडल, खगड़िया के अन्तर्गत गौशाला मोड़ से करुआ (एन०एच०-107) भाया-गुदडी स्थान, माडर, अमनी, बदलाघाट रेलवे स्टेशन पथ के कि०मी० 0.00 से 20.50 तक में क्रॉस ड्रेन, अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18".

Start date as per agreement- 07.07.2018, Completion date as per agreement 06.07.2020

5. The 1st Extension of Time (EOT) for the said works was recommended by Technical Bid Evaluation Committee and approved by Departmental Tender Committee on 23.11.2020 and communicated vide its memo no. 7871(E) dt. 24.11.2020. The decision of Departmental Tender Committee was as under:

"7.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1020 (अनु०) दिनांक 07.10.2020 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, खगड़िया के अन्तर्गत गौशाला मोड़ से करुआ (एन०एच०-107) भाया गुदडी स्थान, माडर, अमनी, बदलाघाट रेलवे स्टेशन पथ के कि०मी० 0.00 से 20.50 तक में क्रॉस ड्रेन, अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2018-19) के Construction अंश कार्य हेतु दिनांक-31.03.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है:-

- (i) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।
- (ii) कार्य में विलम्ब के लिए 5% LD तत्काल जब्त किया जाता है। विस्तारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दिये जाने पर जब्त राशि विमुक्ति पर विचार किया जाएगा।”

6. Further, pursuant to departmental letter no.5225(S) dt. 25.10.21, the Executive Engineer has granted provisional/conditional 2nd Extension of Time upto 24.12.2021 vide memo No.-906 Dated 17.11.2021 under the conditions cited below-

- (i) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/ Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/ Rate लागू होगा। अन्य वित्तीय दावा विभागीय निदेशानुसार ही विचार किया जायेगा।
- (ii) संवेदक द्वारा समर्पित Affidavit with undertaking के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो CMBD Clause के सुसंगत कंडिका में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

The works was reportedly completed on 24.12.2021 and Project Completion Report was also reported submitted to the Department.

7. As per the condition mentioned in the 1st EOT that “विस्तारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दिये जाने पर जब्त राशि विमुक्ति पर विचार किया जाएगा”, the proposal for Payment of Price Escalation and Refund of Liquidated Damage was recommended before the Technical Bid Evaluation Committee. The recommendation of Technical Bid Evaluation Committee dt. 04.08.2022 is as under:

“तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दो वर्ष की एकरारनामा अवधि में कार्य में विलम्ब के संदर्भ में वर्णित तथ्यों एवं कारण पर सहमति व्यक्त की गयी एवं इस मामले में कार्यपालक अभियंता द्वारा काटी गई LD की राशि एवं देय Price Neutralization के संदर्भ में की गयी अनुशंसा तथा निविदा समिति द्वारा प्रथम समयवृद्धि के स्वीकृति के समय दिये गये निदेश के आलोक में Price Neutralization सहित LD की राशि लौटाये जाने पर विभागीय निर्णय प्राप्त करने की अनुशंसा की जाती है।”

8. The Departmental Tender Committee took up the matter on 03.04.2023, wherein, it was decided Vide RCD Letter No.-2253(E), Dated 06.04.2023 that since the works has been completed in extended period of time, hence, the amount deducted on account of Liquidated Damage be released. The detailed decision of Departmental Tender Committee is as under:

“6.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना पत्रांक-988 (अनु०) दिनांक-23.08.2022 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, खगड़िया के अन्तर्गत गौशुपला मोड़ से करुआ (एन०एच०-107) भाया-गुदडी स्थान, माडर, अमनी, बदलाघाट रेलवे स्टेशन पथ के कि०मी० 0.00 से 20.50 तक में क्रॉस ड्रेन, अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2018-19) कार्य के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :

- (i) विस्तारित अवधि में पूर्ण कर दिये जाने के कारण कार्य में विलम्ब के लिए एकरारित राशि के liquidity damage का 5% काट कर रखी गई राशि को विमुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।
- (ii) विभागीय ज्ञापक-7871 (E) दिनांक-24.11.2020 द्वारा संसूचित दिनांक-24.11.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाए।”

9. Further, it is pertinent to mention here that the said work has been executed on the Construction cum Maintenance Bidding Document (CMBD) Contract, in which the provisions for Price Neutralization along with Extension of Time are defined as under:

9.1 If the work(s) be delayed by.

- (i) force majeure, or
- (ii) Serious loss or damage by fire, or
- (iii) Civil commotion, local.
- (iv) Delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge in executing work not forming part of the Contract, or
- (v) Non-availability of stores, which are the responsibility of Government to supply or
- (vi) Non-availability or break down of tools and Plant to be supplied or supplied by Government or
- (vii) **Any other cause which, in the absolute discretion of the authority mentioned in Schedule 'F' is beyond the Contractor's control.**

Then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately give notice thereof in writing to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the works.

9.2 In any such case the authority mentioned in Schedule 'F' may give a fair and reasonable extension of time and reschedule the milestones for completion of work. Such extension shall be communicated to the Contractor by the Engineer-in-Charge in writing, within 3 months of the date of receipt of such request. Non application by the contractor for extension of time shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension by the Engineer-in-Charge and this shall be binding on the contractor.

10. The above provision has further been clarified by Road Construction Department, Bihar Office Order No. 95 cum memo no. 3505(s) dt. 21.04.2015 as under:

10.1 उक्त कंडिका 3.2 में अंकित कारण/ कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) देय समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी 10CC के अधीन Price Neutralization देय होगा।

10.2 Clause 3.2 is defined as under:

3.2 कंडिका 1.3 के प्रावधान को निम्नवत स्पष्ट किया जाता है :-

- 3.2.1 प्राकृतिक आपदा (Force majeure) जैसे अप्रत्याशित बाढ़ (unprecedented flood) इत्यादि।
- 3.2.2 नक्सल गतिविधि/गंभीर कानून व्यवस्था मामलों के कारण गम्भीर (Serious) हानि या नुकसान/क्षति (damage)।
- 3.2.3 अन्य संवेदक, अन्य लोक कार्य विभाग Utilities द्वारा किया जा रहा कार्य जो ससमय पूरा नहीं हुआ और इसके कारण विषयांकित कार्य प्रभावित हुआ।
- 3.2.4 यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री निर्गत किया जाता है और समय पर निर्गत नहीं किया गया है।
- 3.2.5 यदि सरकारी प्लांट से कार्य कराने की बाध्यता है तो प्लांट के breakdown.
- 3.2.6 वैसे पथांश (section) जो
 - (1) भूमि अधिग्रहण
 - (2) Utility shifting
 - (3) Forest/environmental clearance से प्रभावित है।
- 3.2.7 एकरारनामा के Bill of quantity में अंकित कार्य एवं मात्रा के अतिरिक्त आदेशित अन्य कार्य।
- 3.2.8 विभाग को स्वीकार्य अन्य विशेष प्रकृति के कारण जिसके बारे में पूर्वानुमान सम्भव नहीं था।

11. From the above Clauses and guidelines it is clear that Extension of time, with Provision of price Neutralisation in extended period, can be granted if -

(i) The Reasons of delay

- (a) Are not attributable to contractor.
- (b) Should not have been foreseen.
- (c) There is proof of reason of delay. And
- (d) Are acceptable to government

(ii) In the present case, reasons for time extension are as below :-

- (a) Heavy rainfall & water logging- इस कार्य का एकरारनामा के अनुसार कार्यारंभ की तिथि 07.07.2018 है। Heavy rainfall के कारण दिनांक 08.07.2018 से दिनांक 20.10.2018 एवं दिनांक 15.06.2019 से दिनांक 15.10.2019 तक Delay प्रतिवेदित है। प्रथम बरसात की अवधि विभागीय नियमों के अनुसार Time of Completion में सम्मिलित प्रतीत होता है। अतः इस अवधि का Delay "not attributable to contractor" के रूप में मान्य नहीं है। दिनांक 20.10.2018 के लगभग 08 माह बाद दूसरे बरसात की अवधि दिनांक 15.06.2019 से दिनांक 15.10.2019 का Non working period कार्य अवधि के निर्धारण में सम्मिलित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस अवधि का Delay "not attributable to contractor" के रूप में मान्य है।

(b) Encroachment- संवेदक Ms Narsingh Construction द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक 13.12.2019 एवं दिनांक 18.06.2020 द्वारा पथ में अतिक्रमण एवं भूमि विवाद की सूचना दी गई है। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमण्डल, खगड़िया द्वारा अपना पत्रांक-865, दिनांक 16.12.2020 तथा पत्रांक-872, दिनांक 18.12.2020 साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया गया, जिसमें संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से अतिक्रमण हटाने हेतु अनुरोध किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.12.2020 तक पथ में अतिक्रमण था।

(c) Covid-19- इस वैश्विक महामारी का असर व्यापक रहा है। प्रथम Phase की अवधि ऊपर वर्णित Delay अवधि में सम्मिलित है। द्वितीय Phase का प्रभाव फरवरी 2021 से मई 2021 तक लगातार था।

(d) Non availability of bitumen HPCL/ IOCL / BPCL के पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ बिटुमेन / इमल्शन की उपलब्धता के संबंध में दिनांक 09.08.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में उल्लेख है कि पथ प्रमण्डल, खगड़िया द्वारा सूचित किया गया है कि बरौनी में VG-30 (Pack) उपलब्ध नहीं है। यह अवधि उक्त Delay अवधि में सम्मिलित है।

12 उक्त क्रमांक-11 पर अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 15.06.2019 से 31 मई 2021 तक Heavy Rainfall, अतिक्रमण एवं Covid 19 के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। विलम्ब के ये कारण "attributable to contractor" नहीं हैं। कार्यारंभ की तिथि 07.07.2018 से 31 मई 2021 तक संवेदक को 10 माह का समय Hindrance free मिला है। 31 मई 2021 के बाद लगभग सात माह के पश्चात् संवेदक द्वारा दिनांक 24.12.2021 को कार्य को समाप्त कर दिया गया है। अतः कार्य समाप्ति में व्यतीत Hindrance free अवधि 17 माह है जो विषयक कार्य हेतु निर्धारित कार्य अवधि 24 माह के अन्तर्गत है।

13. Since, the above mentioned reasons for delay are not attributable to the contractor therefore, the Contractor's claim for allowing price neutralization for the extended period of time as per Clause 10 above, is accepted.

ह०/-
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र०-7/विविध-04-111/2022-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक M/s Narsingh Construction, At+Po.-Gangjala, Distt.- Saharsa (Bihar) Pin-852201, Email Id- narsinghco777@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-04-111/2022-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-04-111/2022-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-04-111/2022- 4550(E) /पटना, दिनांक 8/7/2026

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

8.4